

चेक लिस्ट क्रमांक संख्या 25
व्यवस्थापना प्लान
हाइवे परियोजना है अतः लागू नहीं

Forest land Diversion of 4.493 Ha Forest for National Highway Authority of India (NHAI), propose the Up-gradation & Widening of Champa-Korba-Chhuri-Katghora Section of NH-149B in the state of Chhattisgarh Chhattisgarh. Package-I (0+00 to 38+150), under Korba (2.82 Ha) and Champa (1.673 Ha) forest division of District Korba & Janjgir-Champa respectively in the State of Chhattisgarh, Under FCA 1980, Under FCA 1980 for Highway project hence **Not Applicable**.


PROJECT DIRECTOR
NHAI, FIU, KORBA (C.G.)

**वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)**

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा मरे जाने के लिये)

I	परियोजना विवरण	
I	आपेक्षित वनभूमि के लिये प्रस्ताव/ परियोजना / स्कीम का संक्षिप्त विवरण	परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बिलासपुर एन.एच.-149बी, के चांपा - कोरबा-छुरी-कटघोरा भाग में चांपा से उरगा (0+000 से 38+150) तक 4 लेन चौड़ीकरण कार्य
II	1:50000 स्केल मेप पर वनभूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मेप	संलग्न है।
III	परियोजना की लागत	रु. 658.53 करोड़
IV	वनक्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य	वन क्षेत्र अत्यंत निकट होने के कारण
V	लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये)	संलग्न है।
VI	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है	निर्माण कार्य के दौरान मजदूरों को रोजगार
2	कुल आपेक्षित भूमि का उद्देश्य विवरण	एन.एच.-149बी, के चांपा - कोरबा - छुरी - कटघोरा में चांपा से उरगा (0+000 से 38+150) तक 4 लेन चौड़ीकरण कार्य
3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण यदि कोई है	नहीं
I	परिवारों की संख्या	निरंक
II	अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों की विवरण	निरंक
III	पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिये)	नहीं
IV	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मजदूरी आवश्यकता है	नहीं
V	क्षतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और /या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचन बद्धता संलग्न की जावे)	संलग्न है।

VI	निर्देशानुसार संलग्न अपेक्षितप्रमाण पत्रों /दस्तावेजों का ब्यौरा -	संलग्न है
VI	परियोजना राशि का 5 प्रतिशत राशि जन कल्याण एवं विकास कार्य में वन अधिकार पट्टा वितरित क्षेत्र हेतु प्रावधान करने का वचन पत्र	संलग्न है।


 परियोजना निदेशक
 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, कोरबा

PART - II
(संबंधित उप संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या :- FP/CG/ROAD/37444/2018

7	परियोजना /स्कीम का स्थान	परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बिलासपुर - एन.एच.149बी, के चांपा-कोरबा-छुरी-कटघोरा में चांपा से उरगा (0+000 से 38+150) तक 4 लेन चौड़ीकरण कार्य				
I	राज्य /संघ शासित प्रदेश	छत्तीसगढ़				
II	जिला	कोरबा				
III	वन प्रभाग	कोरबा वनमण्डल कोरबा, परिक्षेत्र कोरबा एवं करतला, जिला-कोरबा				
IV	वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि	संरक्षित वन भूमि				
		अनु.	परिक्षेत्र का नाम	ग्राम का नाम	कक्ष क्रमांक	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
		राजस्व वन भूमि				
		1	कोरबा	उरगा	67	2.520
		2	करतला	बंजारी	5	0.300
					Total	2.820
V	वन की कानूनी स्थिति	राजस्व वन भूमि				
VI	वनस्पति का घनत्व	रिक्त वन				
VII	आपेक्षित क्षेत्र में वृक्षों की संख्या प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और व्यास श्रेणीवार	जांजगीर - चांपा वनमण्डल में मिश्रित प्रजाति - 03 नग				
VIII	भूमि कटाव के लिये वनक्षेत्र का महत्व, क्या यह गंभीर रूप से क्षेत्र का हिस्सा है, या नहीं	भूमि कटाव हेतु संवेदनशील क्षेत्र नहीं है।				
IX	वन सीमा से प्रत्यावर्तित स्थल की अनुमानित दूरी	0 कि.मी.				
X	क्या यह राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य,जीव मण्डल रिजर्व, वाद्य रिजर्व, हाथी कोरिडोर आदि का भाग है (यदि हां तो, क्षेत्र का व्यौरा तथा मुख्य वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां संलग्न करें)	नहीं				

XI	क्षेत्र में पाये जाने वाली दुर्लभ/संकटापन /वन प्रजातियों का विवरण । (यदि कोई है तो उसका विवरण संलग्न करें)	नहीं
XII	क्या पुरातत्व महत्व स्थल/हेरीटेज साईट/सुरक्षा संस्थान या अन्य कोई ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्थल क्षेत्र में स्थित है (यदि हां तो विवरण संबंधित सक्षम अधिकारी के अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करें)	नहीं
2	क्या प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के भाग -1 के कॉलम 2 में प्रयोक्त एजेंसी द्वारा उल्लेखित वन भूमि न्यूनतम है । (यदि नहीं तो अन्य विकल्प में अनुशंसित क्षेत्र का आइटम वाइस विवरण)	न्यूनतम है ।
3	क्या कोई कार्य अधिनियम का उल्लंघन करते हुए किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो किए गए कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही सहित व्यौरा दें । उल्लंघन करते हुए कार्य क्या अभी भी चल रहे हैं ।	नहीं
4	क्षतिपूरक वन रोपण स्कीम के ज्वारे	संलग्न है ।
(i)	क्षतिपूरक वन रोपण के लिये शिनाख्त किये गये गैर वन क्षेत्र/बिगड़े वनक्षेत्र का व्यौरा निकटवर्ती वनों से इसकी दूरी, हिस्सों की संख्या, प्रत्येक हिस्से का आकार ।	मानचित्र संलग्न है ।
(ii)	क्षतिपूरक वन रोपण के लिये शिनाख्त गैर वन भूमि/बिगड़े वनक्षेत्र तथा निकटवर्ती वन सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र	संलग्न है ।
(iii)	रोपण की जाने वाली प्रजातियों, क्रियान्वयन एजेंसी, समय सारणी, लागत ढांचा आदि सहित विस्तृत क्षतिपूरक वन रोपण	क्रियान्वयन एजेंसी परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बिलासपुर छ.ग. शासन वन विभाग (वनमण्डलाधिकारी कोरबा वनमण्डल कोरबा) रोपण की जानेवाली प्रजातियां, समय सारणी, लागत ढांचा इत्यादि विस्तृत क्षतिपूरक वन योजना संलग्न है ।

(iv)	क्षतिपूरक वन रोपण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय	रु. 7262700/- 10.000 हे. @ 720270/- प्रति हे. की दर से)
(v)	वन रोपण के लिये क्षतिपूरक वन रोपण हेतु शिनाखा किये गये क्षेत्र की उपयोगिता के बारे में और प्रबंध की दृष्टि से सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र। (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा)	संलग्न है।
5	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट (संलग्न की जानी है) मुख्यतः बिन्दु क्रमांक 7 (XI, XII), 8 और 9 के संदर्भ में	निरंक
6	वनमण्डल/जिला प्रोफाइल	
(i)	वनमण्डल का भौगोलिक क्षेत्र	2820 वर्ग कि.मी.
(ii)	वनमण्डल का वन क्षेत्र	2136.47 वर्ग कि.मी.
(iii)	1980 के बाद कुल वनक्षेत्र का वनेत्तर उपयोग मामलों की संख्या के साथ रकबा	संख्या - 17, रकबा - 1089.268 हे.
(iv)	1980 से जिला/वनमण्डल में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण क्षेत्र	-
(a)	वन भूमि, दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण वनक्षेत्र को शामिल करते हुए।	2779.096 हेक्टेयर
(b)	वनेत्तर भूमि (गैर वन भूमि)	20 हेक्टेयर
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण की प्रगति दिनांक 31.03.2008 की स्थिति में।	
(a)	वनभूमि	2779.096 हेक्टेयर
(b)	वनेत्तर भूमि (गैर वन भूमि)	20 हेक्टेयर
13	कारणों सहित प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए संबंधित उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिस।	Recommended - the forest area involved is very less and it is much needed work for development.

तारीख 19/11/20

स्थान Korba

वनमंडलाधिकारी
कोरबा वनमंडल कोरबा
(Gurupatma N)